FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/94

बजे अदालत - राजंस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

कमरुनिशा वगै. बनाम ईस्माइल खां

किस्म मुकदमा 225 RTA मुकदमा नं. 50/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/08/22	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 4/22 उनवानी ईस्माईल खां बनाम कमरूनिशा मे दिनांक 08.06.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम खिरनी बी के हाल खाता संख्या 307 के ख0न0 9190, 9191 कुल रकबा 1.2500 है0 सम्पूर्ण पर अप्रार्थीगण/अपीलांटान को कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने, किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही करने तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत पेश किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 212 की प्रवृति का अंतिम आदेश प्रतीत होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट/अप्रार्थी को सुना नही गया है एवं बिना किसी सुनवाई के ही यह आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण आदेश है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 4/22 निर्णय दिनांक 8.6.22 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को विधिवत रूप से सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अन्दर 3 माह मे निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner